तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R 1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है। यहाँ सुविधा के लिए प्रथम 02 बिन्दुओ का एकसाथ adjudicate किया जा रहा है :- (अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया एवं सुविधा का संतुलन :- ग्राम पाईपारखेडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 148 किता 06 रकबा 4.2600 hect प्रार्थीगण, एवं अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी मे दर्ज है जिसमे प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 1/4, अप्रार्थी 1 का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी 2 व इनकी माता का संयुक्त हिस्सा 1/4 दर्ज है। सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी संवत 2022-41 के अनुसार वादग्रस्त आराजी छत्रासिंह वल्द भवानीसिंह हिस्सा 1/2 एवं नाथूसिंह वल्द दातारसिंह हिस्सा 1/2 की सहखातेदारी मे दर्ज थी। आर्थी० प्रार्थीगण का कथन है कि नाथूसिंह वल्द दातारसिंह के लाऔलाद फौत होने से वादग्रस्त आराजी छत्रासिंह वल्द भवानीसिंह के खाते दर्ज हुई और छत्रासिंह के फौत होने पर 04 पुत्रो (मानसिंह, बनेसिंह, हटेसिंह, व रुघनाथसिंह), एवं एक पुत्री कौशल्या एवं बेवा नानबाई के हिस्से 1/6-1/6 दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2054-57 व 2058-61 के अवलोकन से यह स्पष्ट है। जमाबंदी संवत 2058-61 के अनुसार ~~सहखातेदार मानसिंह वल्द छत्रासिंह~~ [illegible] फौत होने से विरासत से [illegible] (द्वारा) फौत होने से नामान्तरण [illegible] 2004 से दोनो का नाम कम करके शेष चारो सहखातेदारो मानसिंह, हटेसिंह, बनेसिंह व कौशल्याबाई के हिस्से 1/4-1/4 दर्ज हुई (As per जमाबंदी 2062-65)।	गोविन्दसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	जमाबंदी संवत 2062-65 के अनुसार स्पष्ट है कि सहखातेदार हटेसिंह ने अपना हिस्से 1/4 का हकत्याग कौशल्याबाई के पक्ष में करने से जरिये Mutation No 323 से कौशल्याबाई के नाम दर्ज हुआ। अतः जमाबंदी संवत 2066-69 में मानसिंह व बनेसिंह पिसर छत्रसिंह हिस्सा 1/2 तथा कौशल्याबाई पिता छत्रसिंह हिस्सा 1/2 खाते दर्ज हुई।
	अप्रा० प्रार्थिया का कथन है कि छत्रसिंह के दो पुत्र- रुघनाथसिंह व हटेसिंह दोनों कुंवारे थे। रुघनाथसिंह, बनेसिंह के पास रहता था और बनेसिंह ने ही भरण-पोषण व देखभाल की। वर्ष 2001 में मौत होने पर सभी क्रियाकर्म भी बनेसिंह ने किये थे जबकि हटेसिंह मन्दबुद्धि था और उसकी देखभाल भी बनेसिंह व मानसिंह दोनों भाइयों की थी। हटेसिंह के वर्ष 2016 में मौत होने पर क्रियाकर्म भी दोनों ही भाइयों ने किया था और इसलिए दोनों मृतक कुंवारे भाइयों – रुघनाथसिंह व हटेसिंह की भूमि पर भी प्रार्थी खातेदार घोषित होने योग्य है। लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज या गोदनामा या वसीयत पेश नहीं की है जिससे मृतक रुघनाथसिंह व हटेसिंह की भूमि पर हकदार माना जाये। प्रार्थी द्वारा दोनों के अंतिम संस्कार [illegible] कार्यक्रम संपादित करने का भी कोई [illegible] पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा हटेसिंह [illegible] होने का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या Health and Medical Department का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

राजी० हकत्यागपत्र भी कि अप्रार्थी 1 के पक्ष में होना बताया है — की सत्यप्रति भी पेश नहीं है। Registered Release deed को खारिज करने का jurisdiction भी सक्षम सिविल न्यायालय को है। मृतक कल्याणसिंह के जीते जी इंतकाल नं० 269 Dt. 01/12/2004 को सक्षम न्यायालय में आज पर्यन्त भी नहीं दी गई।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

(5) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण में रिकार्ड खातेदार अप्रार्थीगण से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना भी साबित नहीं है।

2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner